संख्या– /71–2–10–एन–118/2010

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2011

विषयः–यशराज इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्राम–जिन्दापुरवा महराजपुर, पोस्ट–तातियागंज चौबेपुर, कानपुर मे हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–374/11, दिनांक 19–01–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्यों/प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त यशराज इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्राम–जिन्दापुरवा महराजपुर, पोस्ट–तातियागंज चौबेपुर, कानपुर मे हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु 40 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती हैः–

(1) संस्था द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जाय।

(2) संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं चयन प्रकिया का पालन करना अनिवार्य है।

(3) संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव

संख्या– 254 (1)/71–2–10–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नर्सिंग कांउसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, यशराज इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्राम–जिन्दापुरवा महराजपुर, पोस्ट–तातियागंज चौबेपुर, कानपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव